रजिस्टर्ड ए०डी०

राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर ।

क्रमांक: मु.सं.प्र./आवा/526

दिनांक: 20-6-2000

सचिव,
कपिल स्मारक समिति,
कपिल वस्तु, बी.49,
लालकोठी स्कीम, जयपुर ।

विषय :- डिस्पोजल ऑफ प्रोपर्टी रेगूलेशन, 1970 की धारा 34 के अन्तर्गत मण्डल की -- मान-सरोवर योजना में आयंटित भूमि का आवंटन पत्र

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि सम्पत्ति आवंटन समिति की दिनांक 14-6-2000 को आयोजित बैठक के निर्णय बिन्दु संख्या 10.2 के अन्तर्गत लिये गये निर्णयानुसार मंडल द्वारा आपकी संस्था को मंडल की मान-सरोवर योजना के सेक्टर 1 में 7300 वर्ग मीटर भूमि स्कूल निर्माण हेतु आवंटित किये जाने का निर्णय लिया गया है । यह आवंटन डिस्पोजल ऑफ प्रोपर्टी रेगूलेशन एक्ट, 1970 की समस्त शर्तों के अनुसार होगा ।

भूखण्ड की कीमत का विवरण

1. भूखण्ड की कीमत (रू. 700/- प्रतिवर्गमीटर की दर से)	5110,000.00
2. विविध शर्तों की राशि	1,27,750.00
3. लीज राशि (एक वर्ष की)	1,27,750.00
योग	53,65,500.00
पूर्व में जमा 2 प्रतिशत राशि (-)	102 340.00
शेष जमा कराने योग्य राशि	52,63,160.00

उपरोक्त राशि 52,63,160/- रू. का डिमाण्ड ड्राफ्ट राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर के नाम से बनाकर इस पत्र के जारी होने की दिनांक से तीन माह की अवधि में संलग्न चालान के द्वारा जमा करा कर चालान की तृतीय प्रति एवं वांछित प्रपत्र पूर्ण करके इस कार्यालय में प्रस्तुत करें ।

आवंटन की शर्तें :-

(1) उपरोक्त राशि निर्धारित अवधि में जमा नहीं कराने पर भूखण्ड का आवंटन बिना किसी पूर्व सूचना के निरस्त कर दिया जा वेगा एवं मण्डल

--2--

Manager
Kapil Gyanpeeth
Mansarovar, JAIPUR

PRINCIPAL
Kapil Gyanpeeth
Mansarovar (JAIPUR) Raj.
Affi. To CBSE NEW DELHI
Affi. No. 1730218 Sch. Code: 10909

इस भूमि को किसी अन्य संस्था को आवंटन करने हेतु पूर्ण रूप से स्वतंत्र होगा ।

(2) वार्षिकलीज राशि रू. 127,750/- अर्द्ध वार्षिक किश्तों में दो -बार जनवरी एवं जुलाई में जमा करानी होगी । लीज राशि 99 वर्ष तक जमा करानी होगी । संस्था द्वारा 9 वर्ष का बकाया लीज राशि एकमुश्त जमा कराने पर मंडल द्वारा एकमुश्त लीजराशि का प्रमाणपत्र जारी किया जा सकता है ।

(3) भूखण्ड का उपयोग उसी कार्य हेतु किया जावेगा जिसके लिये मंडल ने भूखण्ड आवंटित किया है । किसी अन्य कार्य हेतु भूखण्ड का उपयोग नहीं किया जायेगा और न ही वाणिज्यिक लाभ कमाने की दृष्टि से उपयोग किया जायेगा ।

(4) संस्था को आवंटित भूखण्ड पर आवंटन की तिथि से 2 वर्ष की अवधि में निर्माण कार्य पूर्ण कराना होगा । 2 वर्ष की अवधि में निर्माण कार्य पूर्ण नहीं कराने पर भूखण्ड व उस पर बने अधूरे भवन को यदि कोई होगा तो मंडल द्वारा अधि गृहित कर लिया जायेगा जिसका कोई मुआवजा देय नहीं होगा ।

(5) यदि शिक्षण/प्रशिक्षण संस्था के लिये भूमि का आवंटन हुआ है तो आवंटी संस्था को उक्त आवंटित भूमि पर निर्मित किये जाने वाले विद्यालय/ प्रशिक्षण संस्थान में मंडल के कर्मचारियों के बच्चों के प्रवेश के लिये 5 प्रतिशत सीटों के आरक्षित कोटे एवं 50 प्रतिशत शिक्षण शुल्क ही लिये जाने का प्रावधान रखना होगा ।

(6) आवंटित भूखण्ड की चार दीवारी के निर्माण पर लगने वाला व्यय संस्था को वहन करना पड़ेगा, जिसका निर्माण मंडल द्वारा कराया जावेगा ।

मुख्य सम्पदा प्रबन्धक
T.A. To CM 1206.

प्रतिलिपि :-

1. उप आवासन आयुक्त, राज. आवासन मंडल, वृत्त-----, जयपुर ।
2. आवासीय अभियन्ता, राज. आवासन मण्डल, खण्ड------, जयपुर ।

मुख्य सम्पदा प्रबन्धक

Manager
Kapil Gyanpeeth
Mansarovar, JAIPUR

PRINCIPAL
Kapil Gyanpeeth
Mansarovar (JAIPUR) Raj.
Affi. To CBSE NEW DELHI

राजस्थान आवासन मंडल, जयपुर ।

874

क्रमांक: रा.स.पु./आवा/[illegible]/00 01/ [illegible] दिनांक: 25-10-2000

सचिव,...................

कपिल. स्मारक .समिति,..........

कपिल-वस्तु,. बी049,लाल.कोठी.स्कीम ,

जयपुर।...

विषय: डिस्पोजल आफ प्रोपर्टी रेगुलेशन 1970 की धारा 34 के अंतर्गत मंडल की मानसरोवर योजना के सैक्टर-1....योजना में आवंटित भूमि का आवंटन पत्र

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि सम्पत्ति आवंटन समिति की दिनांक 18-10-2000... को आयोजित बैठक के निर्णय बिन्दु संख्या..28......के अंतर्गत लिये गये निर्णयानुसार मंडल द्वारा आपकी संस्था को मंडल की .मानसरोवर..... योजना के सेक्टर..-1 में पूर्व आवंटित भूमि के पास 868 वर्ग मीटर भूमि विद्यालय (विस्तार) .... निर्माण हेतु आवंटित किये जाने का निर्णय लिया गया है । यह आवंटन डिस्पोजल आफ प्रोपर्टी रेगूलेशन एक्ट 1970 की समस्त शर्तों के अनुसार होगा ।

भूखण्ड की कीमत का विवरण
माप:- 868 वर्गमीटर

1. भूखण्ड की कीमत (रु. 770/-.....प्रति वर्ग मीटर की दर से)		668360.00.....
2. विविध खर्चे की राशि		20051.00.....
3. लीज राशि (एक वर्ष की)		16709.00......
योग		705120.00......
पूर्व में जमा 2 प्रतिशत राशि [illegible]	(-)	13367.00......
शेष जमा कराने योग्य राशि		691753.00......

उपरोक्त राशि..691753/- रु. का डिमाण्ड ड्राफ्ट राजस्थान आवासन मंडल, जयपुर के नाम से बनाकर इस पत्र के जारी होने की दिनांक से तीन माह की अवधि में संलग्न चालान के द्वारा जमा कराकर चालान की तृतीय प्रति एवं वांछित प्रपत्र पूर्ण करके इस कार्यालय में प्रस्तुत करें ।

आवंटन की शर्तें:-

(1) उपरोक्त राशि निर्धारित अवधि में जमा नहीं कराने पर भूखण्ड का आवंटन बिना किसी पूर्व सूचना के निरस्त कर दिया जायेगा एवं मंडल ...2.

Manager
Kapil Gyanpeeth
Mansarovar, JAIPUR

24/5/23
PRINCIPAL
Kapil Gyanpeeth
Mansarovar (JAIPUR) Raj.
Affi. To CBSE NEW DELHI
Affi. No. [illegible]

इस भूमि को किसी अन्य संस्था को आवंटन करने हेतु पूर्ण रूप से स्वतंत्र होगा ।

(2) वार्षिक लीज राशि रू. 16709/-...अर्द्धवार्षिक किश्तों में दो बार जनवरी एवं जुलाई में जमा करानी होगी । लीज राशि 99 वर्षों तक जमा करानी होगी । संस्था द्वारा 9 वर्षों की बकाया लीज राशि एकमुश्त जमा कराने पर मंडल द्वारा एकमुश्त लीजराशि का प्रमाणपत्र जारी किया जा सकता है ।

(3) भूखण्ड का उपयोग उसी कार्य हेतु किया जावेगा जिसके लिये मंडल ने भूखण्ड आवंटित किया है । किसी अन्य कार्य हेतु भूखण्ड का उपयोग नहीं किया जायेगा और न ही वाणिज्यिक लाभ कमाने की दृष्टि से उपयोग किया जायेगा ।

(4) संस्था को आवंटित भूखण्ड पर आवंटन की तिथि से 2 वर्ष की अवधि में निर्माण कार्य पूर्ण कराना होगा । 2 वर्ष की अवधि में निर्माण कार्य पूर्ण नहीं कराने पर भूखण्ड व उस पर बने अधूरे भवन को यदि कोई होगा तो मंडल द्वारा अधिगृहित कर लिया जायेगा जिसका कोई मुआवजा देय नहीं होगा ।

(5) यदि शिक्षण/प्रशिक्षण संस्था के लिये भूमि का आवंटन हुआ है तो आवंटी संस्था को उक्त आवंटित भूमि पर निर्मित किये जाने वाले विद्यालय/प्रशिक्षण संस्थान में मंडल के कर्मचारियों के बच्चों के प्रवेश के लिये 5 प्रतिशत सीटों के आरक्षित कोटे एवं 50 प्रतिशत शिक्षण शुल्क ही लिये जाने का प्रावधान रखना होगा ।

(6) आवंटित भूखण्ड की चार दीवारी के निर्माण पर लगने वाला व्यय संस्था को वहन करना पड़ेगा, जिसका निर्माण मंडल द्वारा कराया जावेगा ।

तकनीकी सहायक (भू०अवाप्ति)
एवं सदस्य - सचिव
25/10

प्रतिलिपि:-

1. उप आवासन आयुक्त, राज. आवासन मंडल, वृत्त.-द्वितीय....., जयपुर
2. आवासीय अभियंता, राज. आवासन मंडल, खण्ड......., जयपुर
3- वरिष्ठ नगर नियोजक, राज0आवासन मण्डल, जयपुर।

तकनीकी सहायक (भू०अवाप्ति)
एवं सदस्य-सचिव
25/10

Manager
Kapil Gyanpeeth
Mansarovar, JAIPUR

24/5/23
PRINCIPAL
Kapil Gyanpeeth
Mansarovar (JAIPUR) Raj.
Affi. To CBSE NEW DELHI
Affi. No. 1730...